

**न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-572/2013

संस्थित दिनांक-27.06.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// **विरुद्ध** //

धनीराम पिता छन्नुलाल यादव, उम्र-45 वर्ष,
निवासी—ग्राम बोदा, थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-27/05/2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 (भाग-2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-18.06.2013 को समय शाम करीब 6:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम बोदा में लोकस्थान पर फरियादी रामप्यारी बाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर आहत रामप्यारी बाई को हाथ-मुक्के से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-18.06.2013 को समय शाम करीब 6:00 बजे आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत ग्राम बोदा में फरियादी रामप्यारी बाई अपने भाई काशीराम के घर जा रही थी। रास्ते में उनके गांव का धनीराम यादव शराब पीकर आते दिखा और उसे देखकर बोलने लगा की साली सोधन तू जादू-टोना करती है, जिससे मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। फरियादी रामप्यारी बाई ने गाली देने से मना किया तो जोर-जोर से मादरचोद, बहनचोद की गाली बकते हुए टोनही कहते हुए, हाथ-मुक्के से उसे मारपीट कर धक्का दिया, जिससे उसके माथे और होंठ से खून बहने लगा। उसके बचाव के लिए चिल्लाने पर उसका भाई काशीराम और उसका पति शोभन सिंह आए और उन्हें आते हुए देखकर आरोपी धनीराम कहने लगा कि साली टोनही तुझे आज छोड़ देता हूं, आईन्दा उसके बच्चे पर

जादू-टोनहा करी तो जान से खत्म कर देने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना रूपझर में दर्ज करायी गई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-81/2013 अंतर्गत धारा-294, 323, 506 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा साक्षियों के कथन लिये गये। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506(भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

- 1- क्या आरोपी ने दिनांक-18.06.2013 को समय शाम करीब 6:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम बोदा में लोकस्थान पर फरियादी रामप्यारी बाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- 2- क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत रामप्यारी बाई को हाथ-मुक्के से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?
- 3- क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5- आहत रामप्यारीबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानती है घटना पिछले वर्ष गर्मी के समय शाम 5-6 बजे की है। आरोपी शराब पीकर आया और उसे गंदी-गंदी माँ-बहन की गाली देने लगा और उसे घर से बाहर निकालकर हाथ-मुक्के से मारपीट किया, जिससे उसके माथे एवं होंठ पर चोट लगी, जिससे खून निकलने लगा। उक्त मारपीट से उसके होंठ कट गए थे,

जिससे टॉके लगे थे। शाम हो जाने के कारण और थाना दूर होने की वजह से घटना की रिपोर्ट अगले दिन थाना बिरसा में जाकर की थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जो उसके बताए अनुसार लेखबद्ध की गई है। पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण करवाया था। पुलिस ने बाद में मौके पर आकर उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था और पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि वह आरोपी से झूमा-झपटी होने के कारण गिर गई थी और उसे चोट लगी थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

6— साक्षी ढोहूसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी तथा आहत को जानता है। घटना आज से लगभग एक वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को शाम के समय जब वह तालाब तरफ से अपने घर आ रहा था, तो उसने रामप्यारीबाई और धनीराम को झगड़ते हुए देखा था। आरोपी धनीराम ने रामप्यारीबाई को दो चाटे मारे थे, उसके बाद वह अपने घर आ गया था, इसके अलावा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी द्वारा मारपीट करते समय वह मौके पर उपस्थित नहीं था। उसने किसी को मारपीट करते हुए नहीं देखा। इस प्रकार साक्षी ने अपने कथन में परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं। साक्षी के द्वारा अभियोजन का घटना के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में समर्थन नहीं किया गया है।

7— सोभन (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी एवं आहत को पहचानता है। आहत रामप्यारी आरोपी धनीराम के मामा की लड़की है। घटना आज से लगभग एक वर्ष पुरानी शाम के समय की है। घटना दिनांक को आरोपी रामप्यारीबाई और आरोपी का ढोहूसिंह के घर के सामने झगड़ा हो रहा था। उसने आरोपी को मारते हुए नहीं देखा था। जब वह अपनी पत्नी को लाने गया तो वह रोड के किनारे खड़ी थी। पूछने पर उसने आरोपी के द्वारा मारपीट करना बताया था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने उसके सामने गंदी-गंदी गाली देकर उसकी पत्नी रामप्यारी को हाथ-मुक्कें से मारपीट की थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने मारपीट होते हुए नहीं देखी। इस प्रकार साक्षी के द्वारा अभियोजन का घटना के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में समर्थन नहीं किया गया है।

8— शिवबालक (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी एवं आहत रामप्यारीबाई को पहचानता है। घटना पिछले वर्ष की है। आहत रामप्यारीबाई उसके पास आई और बताने लगी कि उसे धनीराम ने मारपीट किया है, जिससे उसको सिर और होंठ के पास चोट आई थी, उसने उसे रिपोर्ट लिखाने थाना चलने कहा तो उसने उसके साथ जाकर रिपोर्ट लिखवायी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी और प्रार्थिया का झगड़ा होते हुए नहीं देखा था और पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की। इस प्रकार साक्षी के द्वारा अभियोजन का घटना के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में समर्थन नहीं किया गया है।

9— काशीराम (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी एवं आहत दोनों को जानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को शाम के समय उसकी पत्नी हिरमत बाई ने उसे बताया था कि आरोपी ने रामप्यारी को माँ-बहन की गंदी गाली देते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट किया था, जिससे रामप्यारी को चोट लगी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसे उसकी पत्नी हिरमत बाई ने घटना के बारे में कोई बात नहीं बताई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि रामप्यारी को कैसे चोट आई थी वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने अपने कथन में परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं। साक्षी के द्वारा अभियोजन का घटना के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में समर्थन नहीं किया गया है।

10— अनुसंधानकर्ता अधिकारी दादूराम पटले (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-19.06.13 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को रामप्यारी की मौखिक रिपोर्ट पर प्रधान आरक्षक राजेश सनोडिया के द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन 81/13, धारा-294, 323, 506 भा.द.वि. के तहत लेख किया गया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर प्रधान आरक्षक राजेश सनोडिया के हस्ताक्षर हैं, जिसे वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-20.06.13 को रामप्यारी की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर एवं रामप्यारी के अंगूठा निशान है। उक्त दिनांक को ही रामप्यारी,

दुहुसिंह, हिम्मतबाई, सोभनलाल, शिवबाला एवं दिनांक-21.06.13 को काशीराम, मुकेश के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-20.06.13 को आरोपी धनीराम को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के कथन का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

11— अभियोजन की ओर से आहत रामप्यारी (अ.सा.1) के अलावा अन्य साक्षीगण ने घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। आहत रामप्यारी (अ.सा.1) ने अभियोजन मामले का उसके द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 व पुलिस कथन के अनुरूप समर्थन करते हुए साक्ष्य पेश की है। उक्त साक्षी के कथन का बचाव पक्ष की ओर से उसके प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है, जिस कारण उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में अन्य साक्षीगण के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने मात्र से अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं होता है।

12— आहत रामप्यारी (अ.सा.1) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित अश्लील शब्दों के संबंध में गाली-गलौज वाले शब्द से भिन्न अपनी साक्ष्य में शब्दावली का प्रयोग किया जाना प्रकट किया है, जिसमें परस्पर विरोधाभास है। कथित गाली-गलौज वाले शब्दों का प्रयोग किये जाने के संबंध में अन्य साक्षीगण ने भी अपनी साक्ष्य फरियादी का समर्थन नहीं किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि पक्षकारगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होकर उनके सामाजिक स्तर को ध्यान में रखते हुए मामूली गाली-गलौज के शब्द का उच्चारण आम भाषा में प्रयुक्त होना स्वाभाविक प्रतीत होता है, जिससे उक्त परिस्थिति में प्रयुक्त कथित शब्दावली से फरियादी व अन्य को क्षोभ कारित होना नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार आरोपी के द्वारा घटना के समय कथित अश्लील शब्दों का उच्चारण कर फरियादी व अन्य को क्षोभ कारित किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। इसके अलावा आरोपी के द्वारा कथित रूप से फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दिए जाने के

संबंध में पूर्णतः साक्ष्य का अभाव होने से उक्त तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है।

13— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण तथ्य व परिस्थिति से प्रकट होता है कि आरोपी के द्वारा घटना के समय आहत रामप्यारीबाई को मारपीट करते समय आरोपी का आहत को चोट पहुंचाने का आशय विद्यमान था तथा वह इस संभावना को जानता था कि उक्त मारपीट से निश्चित रूप से आहत को उपहति कारित होगी। इस प्रकार आरोपी के द्वारा किया गया कृत्य स्वेच्छया उपहति की श्रेणी में आता है।

14— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने घटना के समय फरियादी रामप्यारीबाई को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 (भाग-दो) के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

15— अभियोजन ने यह युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपी ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत रामप्यारीबाई को हाथ-मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

16— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

17— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उसके द्वारा मामले में वर्ष 2013 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

18— मामले में आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है तथा वह मामले में वर्ष 2013 से लगातार विचारण का सामना कर रहा है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध के अंतर्गत 1000/—(एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

19— मामले में आरोपी अभिरक्षा में नहीं रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

20— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट